न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 60/23 तारीख दायर 10/4/23

जगन्नाथ पुत्र बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. **प्रभुलाल पिता देबीलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
2. **जीतमल पिता रूपचन्द धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
3. **हरिराम पिता भोलू धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
4. **दिनेश पिता** कन्हैयालाल **धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

..........विपक्षीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 12/4/23

प्रार्थना पत्र जगन्नाथ धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा **एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपूरा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723हे0, आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.0728 हे0 , आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.0279 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.4730 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपूरा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723हे0, आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.0728 हे0 , आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.0279 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.4730 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 10/9/23

प्रकरण संख्या –60 / 23

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या / पत्थरगढ़ी बाबत्।

जगन्नाथ पुत्र बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का **खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0** ....**प्रार्थी**

बनाम्

1. **प्रभुलाल पिता देबीलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
2. **जीतमल पिता रूपचन्द धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
3. **हरिराम पिता भोलू धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
4. **दिनेश पिता** कन्हैयालाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का **खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपूरा तहसील बिजौलियां की सरहद **में खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 340/2 रकबा 0.3723हे0, आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.0728 हे0 , आराजी संख्या 344/2 रकबा 1.0279 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.4730 हे0 भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये बाबत पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ